।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

जिला उपभोक्ता अधिनियम, 2019 की धारा–8(1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बेमेतरा में पुरूष एवं महिला अशासकीय सदस्य के एक–एक पद नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला बेमेतरा में दिनांक 31/12/2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद हेतु आवेदनकर्ता में निर्धारित योग्यता जिसमें :–

i) व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक न हो, ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखता/रखती हो, iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और अटलता धारित व्यक्ति/महिला हो और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि एवं लेखकर्म, उद्योग, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो।

❖ नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति/महिला जिसमें :–

i) अपराध के लिए जेल की सजा हुई हो अथवा दोषसिद्वि की गई हो, ii) अघोषित दिवालिया हो, iii) सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर दिमाग वाला घोषित किया गया हो, iv) शासकीय/निगम की सेवाओं से हटा दिया गया हो अथवा v) राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तिय या अन्य हित रखता हो, जिसमें एक सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो, अयोग्य होगा।

विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में **कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला बेमेतरा** में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर
जिला–बेमेतरा

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य-शाखा) जिला - बेमेतरा

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा ,प्रथम तल रूम नं. 53 एवं 54
(Email Id- fobemetara.cg@gov.in)

पृ0क्रमांक/3493/खाद्य/2020 — बेमेतरा, दिनांक 10/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. **विशेष सचिव,** छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. **संचालक,** खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. **उपसंचालक,** समाज कल्याण विभाग, बेमेतरा को सूचनार्थ।
4. **जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,** महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा को सूचनार्थ।
5. **जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,** जिला कार्यालय बेमेतरा को सूचनार्थ।
6. **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)** सर्व, जिला–बेमेतरा को सूचनार्थ एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
7. **तहसीलदार** बेमेतरा/बेरला/नवागढ़/साजा/थानखम्हरिया को सूचनार्थ एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
8. **अध्यक्ष,** बार एसोसिएशन, जिला–बेमेतरा को सूचनार्थ।
9. **सहायक संचालक**, जनसंपर्क, बेमेतरा को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु संप्रेषित।
10. नोटिस बोर्ड कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा हेतु।

कलेक्टर
जिला–बेमेतरा

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य नियुक्ति हेतु वांछित जानकारी का प्रारूप

(अन्तर्गत - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1))

1. पूरा नाम उपनाम सहित: --

2. जन्म दिनांक: --

3. (अ) निवास का पूरा पता: --

(ब) वर्तमान व्यवसाय : --

4. शैक्षणिक योग्यता :- --

----

5. अनुभव(स्पष्ट विवरण के साथ) --
(कम से कम 10 वर्ष का अनुभव) --

6. दांडिक प्रकरण यहि कोई हो: --
(विवरण दें)

7. जिलाधीश का प्रतिवेदन :--

नोट :- 1. आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक न हो ।

2. शैक्षणिक योग्यता में स्नातक से कम न हो ।

3. अनुभव में अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, प्रशासन या लोक कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव हो ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-